भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2022

संख्या लैज.23/2022.– दि प्रोइबिशॅन आफ चाइल्ड मैरिज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 22 अगस्त, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. बाल विवाह प्रतिषेध, 2006 की धारा 3 की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 2007 के केन्द्रीय अधिनियम 6 की धारा 3 का संशोधन।

''(1क) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद अनुष्ठापित किया गया प्रत्येक बाल विवाह प्रारम्भ से ही शून्य होगा।''।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

9843—L.R.—H.G.P., Pkl.

PART - I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 2nd August, 2022

No. Leg. 23/2022.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the President of India on the 13th May, 2022 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 23 OF 2022

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2020

AN

ACT

further to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Prohibition of Child Marriage (Haryana Amendment) Act, 2020. Short title.

2. After sub-section (1) of section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, the following sub-section shall be inserted, namely:- Amendment of section 3 of Central Act 6 of 2007.

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), every child marriage solemnized on or after the date of commencement of the Prohibition of Child Marriage (Haryana Amendment) Act, 2020, shall be void ab initio.".

BIMLESH TANWAR,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

9785—L.R.—H.G.P., Pkl.